रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275518
CG-DL-E-17082026-275518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 665] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 729(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक यान (परमिट) नियमावली, 2023 में आगे संशोधन करने के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित मसौदा नियमों को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अनुसार उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है। उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय पर्यटन यान (परमिट) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय पर्यटन यान (परमिट) नियमावली, 2023 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 3 में,—

(i) उप-नियम (3) के अंतर्गत तालिका में,—

(क) क्र.सं. 1 के कॉलम (3) में अरबी अंकों और विराम चिन्ह "20,000" के स्थान पर अरबी अंक और विराम चिन्ह "15,000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्र.सं. 2 के कॉलम (3) में अरबी अंकों और विराम चिन्ह "30,000" के स्थान पर अरबी अंक और विराम चिन्ह "22,500" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्र.सं. 3 के कॉलम (3) में अरबी अंकों और विराम चिन्ह "80,000" के स्थान पर अरबी अंक और विराम चिन्ह "60,000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्र.सं. 4 के कॉलम (3) में अरबी अंकों और विराम चिन्ह "3,00,000" के स्थान पर अरबी अंक और विराम चिन्ह "2,25,000" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) में, "मेथनॉल या इथेनॉल ईंधन पर चलने वाले" शब्दों के स्थान पर, "विशेष रूप से हाइड्रोजन, मेथनॉल, इथेनॉल ईंधन या किसी प्राकृतिक गैस पर चलने वाले" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (5) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"बशर्ते कि बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहन या केवल प्राकृतिक गैस या हाइड्रोजन पर चलने वाले पर्यटक वाहन को ऐसे वाहन के पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद अखिल भारतीय पर्यटक परमिट दिया जा सकता है, यदि ऐसा वाहन अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए आवेदन करने से पंद्रह दिन पहले स्वचालित परीक्षण केंद्र से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है:

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत डीजल वाहनों के मामले में, वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष पूरे होने के पश्चात् अखिल भारतीय पर्यटक परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 6 में,—

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(2) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट का उपयोग किसी पर्यटक या पर्यटकों के समूह को उनके निजी सामान सहित परिवहन करने के लिए समग्र रूप से उपयोग किए जाने वाले पर्यटक वाहन के लिए किया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (3) में,—

(क) "पर्यटकों का व्यक्तिगत रूप से या समूह में परिवहन" शब्दों के स्थान पर "एक पर्यटक या पर्यटकों के समूह का परिवहन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप या भौतिक रूप में" शब्दों के बाद विराम चिन्ह और शब्द ", और ऐसे वाहन का उपयोग समग्र रूप से किया जाता है" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 10 में, "प्रत्येक पर्यटक का गंतव्य और" शब्दों के स्थान पर, "पर्यटकों का गंतव्य, और" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11036/57/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

G.S.R. 729(E).— The following draft rules to further amend the All India Tourist Vehicles (Permit), Rules, 2023 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, Email: comments-morth@gov.in. Any objection(s) or suggestion(s) which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles (Permit) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of the Notification in the Official Gazette.

2. In the All India Tourist Vehicles (Permit) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—

(i) in the table under sub-rule (3),—

(a) in column (3) of serial number 1, for the Arabic numerals and punctuation mark "20,000", the Arabic numerals and punctuation mark "15,000" shall be substituted;

(b) in column (3) of serial number 2, for the Arabic numerals and punctuation mark "30,000" the Arabic numerals and punctuation mark "22,500" shall be substituted;

(c) in column (3) of serial number 3, for the Arabic numerals and punctuation mark "80,000", the Arabic numerals and punctuation mark "60,000" shall be substituted;

(d) in column (3) of serial number 4, for the Arabic numerals and punctuation mark "3,00,000", the Arabic numerals and punctuation mark "2,25,000" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (4), for the words "driven on methanol or ethanol fuel", the words "exclusively driven on hydrogen, methanol, ethanol fuel or any natural gas" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 4, for the proviso to sub-rule (5), the following provisos shall be substituted, namely,—

"Provided that a battery operated tourist vehicle or a tourist vehicle exclusively driven on natural gas or hydrogen may be granted All India Tourist Permit after such vehicle has completed fifteen

years, if such vehicle obtains a certificate of fitness from an automated testing station no later than fifteen days before seeking the All India Tourist Permit:

Provided further that, in case of diesel vehicles registered in the National Capital Territory of Delhi, the All India Tourist Permit shall not be granted after the vehicle has completed ten years from the date of its first registration."

4. In the said rules, in rule 6,—

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

"(2) The All India Tourist Permit shall be used for a tourist vehicle used as a whole, for the transport of a tourist or, tourists in a group, along with their personal luggage."

(ii) in sub-rule (3),—

(a) for the words "transport of tourists individually or in a group", the words "transport of a tourist or tourists in a group" shall be substituted;

(b) after the words "electronic form or in physical form", the punctuation mark and words ", and such vehicle is used as a whole" shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 10, for the words "the destination of each tourist and", the words "the destination, of tourists, and" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/57/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 302 (E), dated the 18th April, 2023, and lastly amended vide G.S.R. …..(E) dated the ………………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA